



जन प्रतिनिधित्व (चुनाव घोषणापत्र विनियमन संशोधन) विधेयक, 2025

❖ संदर्भ और परिचय

सभी राजनीतिक दल अनेक तरीकों से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, जो न केवल वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण हैं, बल्कि भारत जैसे परिपक्व और विकासशील लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण से अनैतिक भी हैं। इस मसौदा कानून का उद्देश्य –

- 1) देश भर के सभी सार्वजनिक कार्यालयों के लिए होने वाले लोकतांत्रिक चुनावों के दौरान जारी किए गए चुनाव घोषणापत्रों के तत्वों को विनियमित करना।
- 2) चुनाव घोषणापत्रों को सभी नागरिकों के लिए सरल और समझने योग्य बनाने के लिए एक तार्किक ढांचा तैयार करना।
- 3) राजनीतिक दलों और सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक वित्त और नीति निर्माण की वित्तीय वास्तविकताओं और जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध बनाना।
- 4) 2030 के बाद राजनीतिक पार्टियों को पिछले चुनावी वारों पर एक इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करने की जरूरी।
- 5) चुनावों से पहले धनराशी देने वाली योजनाओं की घोषणा पर प्रतिबंध।

❖ चुनाव घोषणापत्र की परिभाषा, संरचना और रूपरेखा

- 1) भारत के संविधान के तहत किसी सार्वजनिक पद के लिए होने वाले चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा चुनाव के समाई सार्वजनिक और सामाजिक-राजनीतिक चर्चा का निर्माण और संचालन करने के उद्देश्य से जारी किए गए किसी भी दस्तावेज़/मेटारियल को चुनाव घोषणापत्र परिभाषित किया जाता है।
- 2) यह भारत के संविधान के तहत किसी सार्वजनिक पद के लिए होने वाले चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल (या) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की जीत की स्थिति में शासन और प्रशासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और एजेंडों का गठन करता है।
- 3) यह विधेयक चुनाव घोषणापत्र तैयार करने से संबंधित कुछ मानदंड निर्धारित करता है, जिसमें विकास और कल्याण से संबंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करना; ऐसी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की

लागत; वित्तपोषण के तरीके; लाभार्थी मानदंड को परिभाषित करना; प्रभाव का आकलन; संसाधन आवंटन और उपयोग शामिल रहेंगे।

- 4) राजनीतिक दलों और/या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव घोषणापत्र जारी करना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन, बनाया गया कोई भी चुनाव घोषणापत्र इस विधेयक के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

❖ ईसीआई में चुनाव घोषणापत्र पैनल (ईएमपी) की स्थापना

- 1) ईसीआई (भारत निर्वाचन आयोग) के भीतर पाँच प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ चुनाव घोषणापत्र पैनल (ईएमपी) की स्थापना की जाएगी।
- 2) ईएमपी इस विधेयक के सिद्धांतों, "चुनाव घोषणापत्र (विनियमन) नियम" के तहत सूचीबद्ध शर्तों के आधार पर घोषणापत्रों का मूल्यांकन करेगा।
- 3) ईएमपी घोषणापत्रों को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकृत/अस्वीकार करेगा, और, सभी स्वीकृत घोषणापत्र ईसीआई के भीतर ऑनलाइन वेब पोर्टल पर 6 से 12 घंटे पर प्रकाशित किए जाएंगे, जो उम्मीदवार चुनाव हलफनामा (अफीडविट) प्रकाशन वेब पोर्टल के समान होगा।
- 4) सीईसी (मुख्य चुनाव आयुक्त) और अन्य ईसी (चुनाव आयुक्त) ईएमपी के नौ सदस्यों में से एक को ईएमपी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेंगे।
- 5) ईएमपी का कोई भी सदस्य उसी ईएमपी में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- 6) न्यूनतम अवधि = 2 वर्ष; अधिकतम अवधि = 3 वर्ष।

❖ मुफ्त योजनाओं बनाम कल्याणकारी प्रस्ताव और वित्त आयोग को निर्धारण करने के लिए अधिकृत करना

- 1) यह कानून राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को यह बताना अनिवार्य करता है कि चुनाव घोषणापत्र में उल्लिखित योजनाओं और नीतियों को किस तरह से वित्तपोषित किया जाएगा।
- 2) यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति द्वारा गठित वित्त आयोग को जीडीपी/जीएसडीपी के प्रतिशत के संदर्भ में कल्याण व्यय पर



सीमा और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों की सिफारिश करने का अधिकार देता है।

- 3) यह कानून ईसीआई को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इन सीमित सीमाओं को प्रकाशित करने का अधिकार देता है ताकि राजनीतिक दल इन सीमाओं के दौरान राजकोषीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने चुनाव घोषणापत्र तैयार करें।
- 4) यह कानून राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को समयसीमा प्रदान करने, लाभार्थियों के वर्ग/समूह की स्पष्ट परिभाषा, शमन योजनाएँ, प्रभाव मूल्यांकन मानदंड, कल्याण योजनाओं के राजकोषीय प्रबंधन के अल्पकालिक, मध्यम-कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव और कल्याण योजनाओं या कल्याण से संबंधित व्यय के मामले का पता लगाने का अधिकार देता है।

❖ चुनाव घोषणापत्र निष्पादन रिपोर्ट

- 1) यह कानून में सभी राष्ट्रीय, राज्य और पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (रिजिस्टर्ड रेक्नाइज़ड पोलिटिकल पार्टीज) को चुनाव घोषणापत्र निष्पादन रिपोर्ट (ईएमपीआर) प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है, यदि वे तत्काल पूर्ववर्ती चुनाव में ऐसा कोई घोषणापत्र जारी किये हो।
- 2) ईएमपीआर में राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों (जैसा लागू हो) द्वारा किसी भी चुनाव के संगत चुनाव घोषणापत्र में प्रस्तावित प्रत्येक नीति, योजना, कार्यक्रम और योजना की निष्पादन और प्रभाव रिपोर्ट शामिल होंगे।
- 3) "चुनाव घोषणापत्र (विनियमन) नियम" के तहत इसके लिए एक प्रारूप निर्धारित किया जाएगा।
- 4) ये नियम एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा तैयार किए जाते हैं।
- 5) मौजूदा मानदंडों और प्रथाओं के अनुसार, इन नियमों या ऐसे किसी भी संशोधन को समय-समय पर हितधारक परामर्श और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए केंद्र सरकार, संसद या भारत चुनाव आयोग द्वारा उचित समझा जाएगा।
- 6) ईएमपीआर को मतदान की तारीख से 3 महीने पहले जारी करना होगा।
- 7) सभी पात्र राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को उपचुनावों के दौरान ईएमपीआर जारी करने से छूट दी गई है।

❖ कैश बांटने वाली योजनाओं पर रोक

यह बिल वोटिंग की तारीख से 8 महीने पहले, चाहे वह तारीख अस्थायी हो या पक्की, कैश बांटने वाली सभी योजनाओं की घोषणा और/या वितरण पर रोक लगाने का प्रावधान करता है।

❖ अपराधों के लिए दंड

- 1) राष्ट्रीय/राज्य/पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को संबंधित ईएमपी कि स्वीकृति के बिना चुनाव घोषणापत्र जारी/प्रकाशित करने पर,
 - ₹1 करोड़ जुर्माना
 - चुनाव लड़ने पर 15 साल का प्रतिबंध
- 2) पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और अन्य सभी उम्मीदवारों को संबंधित ईएमपी कि स्वीकृति के बिना चुनाव घोषणापत्र जारी/प्रकाशित करने पर,
 - ₹20 लाख जुर्माना
 - चुनाव लड़ने पर 15 साल का प्रतिबंध
- 3) ईएमपी सदस्यों द्वारा विश्वासघात के मामले में,
 - न्यूनतम 7 साल का कठोर कारावास
 - न्यूनतम ₹50 लाख जुर्माना
- 4) इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट/डिजिटल मीडिया द्वारा प्रकाशन और प्रचार से संबंधित उल्लंघनों के मामले में,
 - मौजूदा विधानों और अन्य कानूनों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

❖ चुनाव घोषणापत्रों का प्रकाशन और प्रचार

- 1) ईएमपी और ईसीआई को किसी भी स्वीकृत चुनाव घोषणापत्र को स्वीकृति के समय से 6-12 घंटे के भीतर वेबसाईट पर अपलोड और प्रकाशित करना होगा।
- 2) राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार प्रचार में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रारूपों में या सभी अभियान सामग्रियों में सारे नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के वित्तीय परिव्यय को शामिल करना जरूरी है।
- 3) सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के विचारों, नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के निष्पक्ष प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट / डिजिटल मीडिया एजेंसियां विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगी और विशेष सामग्री तैयार करेंगी।


❖ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (स्प्रेसेंटेशन आफ पीपल एक्ट, 1951) में आवश्यक संशोधन

1. पार्ट – IV में सेक्षण 19A के बाद एक नया सेक्षण 19B जोड़ा जाएगा, जो "इलेक्शन मैनिफेस्टो पैनल" के लिए कानूनी आधार देगा।
2. पार्ट – V में सेक्षण 30 के बाद एक नया सेक्षण 30A जोड़ा जाएगा, जो राजनीतिक पार्टियों और चुनाव लड़ने वाले



उम्मीदवारों को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को EMP को रिव्यू और आगे की कार्रवाई के लिए जमा करने के लिए एक साफ टाइमलाइन देगा।

3. पार्ट – V में सेक्षन 31 के बाद एक नया सेक्षन 31A जोड़ा जाएगा, जो EMP के गठन, फिर से गठन के बारे में जानकारी देगा।
4. सेक्षन 34 के बाद एक नया सेक्षन 34A जोड़ा जाएगा, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो की जांच से संबंधित फीस तय करेगा।
5. सेक्षन 123 के बाद एक नया सेक्षन 123A जोड़ा जाएगा, जो वोटिंग की तारीख से आठ महीने पहले कैश देने वाली योजनाओं की घोषणा या वितरण पर रोक लगाता है।
6. सेक्षन 126B के बाद एक नया सेक्षन 126C जोड़ा जाएगा, जो प्रतिबंधित अवधि के दौरान कैश देने वाली योजनाओं से संबंधित उल्लंघनों के खिलाफ पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई तय करता है।



CRFHGR